9/3/26 पत्रावली पेश हुई। प्र0 पत्र ओली सिंह अधिवक्ता स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दैनिक पुर्ती होकर नियम से जमा रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–170 / 25 तारीख रजु:–17.10.25

उनवान

बृजेन्द्र कुमार पुत्र ऊंकार लाल आयु 60 साल जाति ब्राहमण निवासी बखतपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

––प्रार्थी

बनाम

1. फत्तेसिंह पुत्र टीकम सिंह जाति राजपूत आयु 65 साल निवासी मैंगरी तहसील मासलपुर जिला करौली राज0
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

––अप्रार्थीगण

–::प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955::–

–::निर्णय::– दिनांक:–09.03.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 51 रकवा 0.4932 हैक्टेयर वाके ग्राम लैदोरखुर्द पटवार हल्का खेडिया तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है जिसमें प्रार्थी कब्जा काश्त अपनी आराजी में हमेशा हमेशा से चला आ रहा है तथा प्रार्थी की उक्त जमीन की ओर लंबे सडक से सटेमा अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नं0 49 रकवा 0.2150 हैक्टेयर भूमि स्थित हे तथा प्रार्थी अप्रार्थी की इसी भूमि में से होकर पचासों वर्षों से अपनी खेता पर आने जाने के लिये व खेतीबाडी हेतु वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली व अन्य साधन इसी रास्ता खेत में होकर निकलते चले आ रहे है। प्रार्थी की खातेदारी की उक्त भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता नही है तथा प्रार्थी की खातेदारी में उपरोक्त नंबर अप्रार्थी की आराजी खसरा नं0 49 में होकर ही प्रार्थी का अपनी आराजी में ओन जोन का एकामत्र सीधा रास्ता है जिसकी मुख्य सडक से करीबन दूरी 40 फीट के आसपास है जो करौली मासलपुर मैन रोड पर स्थित है। जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थी पचासों

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

वर्षो से शांतिपूर्वक करता चला आ रहा हैं। दिनांक 14.10.2025 को प्रार्थी अपनी आराजी खसरा नं0 51 पर सरसों की फसल बुवाई करने के लिये ट्रैक्टर लेकर गया तो अप्रार्थी द्वारा अपनी आराजी खसरा नं0 49 वाके ग्राम लैदोरखुर्द पटवार हल्का खेडिया तहसील मासलपुर में होकर प्रार्थी ट्रैक्टर को ले जाने से मना कर दिया और मुझ प्रार्थी का ट्रैक्टर निकलने नही दिया। अप्रार्थी झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से कहा कि हम तो पुरखों के समय से पचासों वर्षो से इसी खेत के रास्ते मे होकर निकलते चल आ रहा हूं तथा मुझ प्रार्थी का इस रास्ते के अलावा मेरी आराजी खसरा नंबर 51 में जाने का अन्य कोई रास्ता नही है तो अप्रार्थी और नाराज हो गया और कहने लगा लगा कि अब हम तुझे अप्रार्थी के हाथ जोडकर विनती की परन्तु अप्रार्थी नही माना तथा अब अप्रार्थी प्रार्थी को रास्ता नही निकालने दे रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को रास्ता नही निकालने दिया तो प्रार्थी की भूमि को आने जोन का कोई रास्ता नही रहेगा और प्रार्थी बजंड रह जावेगी और बच्चों की भूखा मरने की नौबत आ जावेगी तथा प्रार्थी का कमाई का एकमात्र जरिया कृषि ही है और अन्य कोई आमदनी का स्त्रोत नही है। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी की आराजी खसरा नं0 49 में होकर अपनी आराजी खसरा नं0 51 में आने जाने का रास्ता दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अप्रार्थी को रास्ता की सरकारी कीमत के अनुसार राशि अदा करने को तैयार है। अंत रास्ता दिलाये जाने बाबत निवेदन किया है।

दावा सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान के जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजीयात खसरा नं0 49 व 51 वाके ग्राम लैदोर खुर्द पटवार हल्का खेडीया में स्थित होना तो स्वीकार है। वाकी इबारत गलत है और स्वीकार नही है। इस मद में सायल प्रार्थी का यह दर्ज करना की खसरा नं0 49 में होकर खसरा नं0 51 के लिए 50 वर्षो से रास्ता रहा है। सरासर गलत है और स्वीकार नही है। सही बात यह है कि प्रार्थी विजेन्द्र कुमार के खेत खसरा नं0 51 के लिए ग्राम लैदोर खुर्द के खसरा नं0 55 के कोने पर होकर खसरा नं0 51 के लिए ग्राम लैदोर खुर्द खसरा नं0 55 क कोने पर होकर खसरा नं0 51 से सटेमा माली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

पुरा के लिए कच्चा रास्ता (दगडा) करीब 12 फुट चौडा हमेशा से चला आ रहा है। मौके पर आज भी मौजूद है। जिसमें होकर प्रार्थी सायल खसरा नं0 51 के लिए ट्रेक्टर ट्रोली व अन्य साधन इसी रास्ते में होकर निकलते है जो जवाब दर0 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में वरंग सुर्ख से दर्शित किया है। तथा मौके के रास्ते के छायाचित्र भी जवाब दर0 के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी के लिए खसरा नं0 51 में पहुचने के लिए खसरा नं0 49 मे होकर कभी रास्ता नही रहा बल्कि करौली मासलपुर रोड के लंबे सडक खसरा नं0 55 के कोने पर होकर माली पुरा के लिए खसरा नं0 51 प्रार्थी के खसरा नं0 के सहारे कच्चा रास्ता जा रहा है। जिसका उपयोग प्रार्थी करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में दिनांक 14.10.2025 को सरसो की बुवाई के लिए ट्रेक्टर ले जाना तथा अप्रार्थी द्वारा झगडा करना ये समस्त तथ्य कपोल कल्पित दर्ज किये है। मुझ जवाबदार से कोई कहा सुनी नही हुई। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य दर्ज कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जवाबदार से किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। क्योंकि उसका मूल पुश्तैनी रास्ता खसरा नं0 51 के दूसरे कोने पर जो जवाबदार द्वार नजरी नक्शा मे दिखाया गया है। उसमें होकर जा रहा है। प्रार्थी सायल का खसरा नं0 49 में होकर कभी कोई रास्ता नही रहा। प्रार्थी सायल का हमेशा से ही रास्ता खसरा नं0 55 के सहारे होता हुआ खसरा नं0 51 के सहारे मालीपुरा के लिए कच्चा रास्ता गया है उसी रास्ते में से कृषिकार्य हेतु रास्ता उपलब्ध है। जो जवाब दर0 के साथ संलग्न नक्शे में वरंग सुर्ख से दर्शित किया है। प्रार्थी चालाक किस्म का व्यक्ति है। हल्का पटवारी को अपने पक्ष में लेकर प्रार्थी जवाबदार को जानकारी में लाये वगैर एक तरफा मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी से मिलकर जवाबदार की गैर मौजूदगी मे तैयार की है जबकि मौक पर खसरा नं0 51 के लिए खसरा नं0 51 के सहारे रास्ता उपलब्ध है। जिसकी मौका रिपोर्ट में कोई हवाला दर्ज नही किया है। इसलिए मौका रिपोर्ट दोनों पक्षों की मौजूदगी में तहसीलदार मासलपुर द्वारा तलब किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। अंत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

तहसीलदार, मासलपुर डीएलसी दर एवं मौका रिपोर्ट मय नक्शा तलब की गई। जो दिनांक 29.01.2026 को प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

बहस वकील सायल एवं गैरसायल नंबर 1 की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तहसीलदार, मासलपुर दिनांक 29.01.2026 व डीएलसी दर प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न तीन बिन्दु विचारणीय है:-

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है।
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव।
3. नया मार्ग निकटतम/लघुत्तम रूट से हो।

वकील प्रार्थीयान का बहस में कथन है कि प्रार्थीयान को रास्ते की अति आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीयान की भूमि के आवागमन के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र में दर्ज रास्ते का उपयोग आवागमन के लिए करते चले आ रहे है। इसलिए प्रार्थना-पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे।

वकील अप्रार्थीयान का बहस में कथन है कि खसरा नंबर 49 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीयान का रास्ता खसरा नंबर 55 के सहारे होता हुआ खसरा नंबर 5 के सहारे मालीपुरा के लिए कच्चा रास्ता गया है। उसी रास्ते में से कृषि कार्य हेतु रास्ता उपलब्ध है। जिसे जबाव प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शे में बंरग सुर्ख से दर्शाया गया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज किया जावे।

बहस वकील का मनन किया गया एवं उपर दर्ज तीनों बिन्दुओं के संबंध में तहसीलदार, मासलपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें उन्होंने प्रार्थीयान के पास चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और नक्शा में दर्ज चाहा गया रास्ता निकटतम एवं लघुत्तम रूट से है और चाहे गये रास्ते की प्रार्थियान को अत्यधिक आवश्यकता है। बंरग सुर्ख रास्ता नक्शा संलग्न प्रार्थना पत्र की लम्बाई खसरा नंबर 49 में से 15 मीटर एवं चौडाई 3.048 मीटर है। जिसका कुल रकबा 0.0046 है0 है। भूमि की कीमत डीएलसी दर के अनुसार 4600/-रूपये बनती है। प्रार्थियान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा नजरी में दर्शित बरंग सुर्क रास्ता की

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

स्वीकृति दिया उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किय जाने योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थियान विरूद्व अप्रार्थीयान स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीयान को आराजी खसरा नंबर 49 में से लम्बाई 15 मीटर एवं चौडाई 3.048 मीटर जिसका रकबा 0.0046 है0 है एवं डीएलसी दर से राशि 4600/– रूपये बनती है जिसकी तीन गुना राशि 13800/– रूपये उक्त आराजी के खातेदार अप्रार्थी नंबर 1 के नाम डी.डी. तैयार कराकर तहसीलदार, मासलपुर को जमा कराने पर तहसीलदार, मासलपुर उक्त राशि का भुगतान अप्रार्थी नंबर 1 को कर रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा शीट में खसरा नंबर 51 रकबा 0.4932 है0 वांके ग्राम लैदोर खुर्द तहसील मासलपुर को प्रार्थीयान के कृषि आवागमन को अंकन 07 दिवस में करें। तहसीलदार, मासलपुर की रिपोर्ट क्रमांक भू.अभि/2026/1639 दिनांक 29.01.2026 मय नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। उक्त स्वीकृत रास्ता भूमि केवल रास्ते के लिए ही सार्वजनिक उपयोग के लिए रहेगी। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ को तहसीलदार, मासलपुर को भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली